निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 105/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** के माह मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री शंभु कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जितेंद्र तमोली, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08/03/2021 से 20/03/2021 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, श्री मनीष श्रीवास्तव,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरुण कुमार,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 05.03.2020 से 07.03.2020, 16.03.2020 से 19.03.2020 तथा 20.05.2020 तक श्री विभास मुखर्जी , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 02/2019 से माह 02/2020 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी थी।

(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार: खंड का कार्य क्षेत्र देहरादून के कालसी/चकराता/त्यूनि तहसील का कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें खण्ड द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मार्गों एवं सेतुओं के रख-रखाव, नव-निर्माण एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य निष्पादित किए जाते हैं।

(ii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैरस्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय			
2017-18	-	-	2059 अधिष्ठान	711.79	706.73	2797.57	2781.46	-	5.06/16.11	-
2018-19	-	-	तदैव	722.41	699.72	2354.31	2350.11	-	22.69/4.20	-
2019-20	-	-	तदैव	2.75	2.45	3561.04	3011.90	-	0.30/549.14	-
2020-21 (02/2021 तक)	-	-	-	13.56	6.72	3290.26	2370.11	-	प्रगति पर	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष	
					आधिक्य	बचत
2017-18	-	-	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-	-	-
2020 -21 (02/2021 तक)	-	-	-	-	-	-

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग

↓

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

↓

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

सहायक अभियंता

↓

अपर सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता

(2) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **फरवरी 2021** को विस्तृत जांच एवं लेखापरीक्षा अवधि में सर्वाधिक परिव्यय के आधार पर निर्माण कार्य **"नागथात लाच्छा मोटर मार्ग निर्माण कार्य" को विस्तृत** विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(3) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में 14.12.2020 से 16.12.2020 तक निरीक्षण किया गया था परंतु प्रतिवेदन अप्राप्त था।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी 09/2020 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम	`(-) 173051.00
भाग द्वितीय	` 247147.65

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2020 के मासिक लेखा के अनुसार

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	`4073938.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	`17883376.00
(ङ)	भण्डार	`3264016.45

भाग II "ब"

प्रस्तर 01– ` 4.74 लाख रॉयल्टी व ` 0.58 लाख न्यास निधि की कम कटौती किए जाने के कारण ठेकेदारों को कुल ` 5.33 लाख अदेय लाभ।

शासनादेश सं 1621/VII-1/2017/8ख/16 दिनांक 17.11. 2017 पैरा सं 10 के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने खनन सामग्री पर जिला खनिज फाउन्डेसन न्यास निधि में रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से कटौती की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में चयनित माह फरवरी 2021 के वाउचरो की जांच में पाया गया कि ठेकेदारो के देयकों से न्यास निधि हेतु 25 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती न कर रॉयल्टी में से ही 25 प्रतिशत की कटौती की जा रही थी, व शेष 75 प्रतिशत को रॉयल्टी के रूप में जमा किया जा रहा था। जिसके कारण 25 प्रतिशत कम रॉयल्टी की कटौती हुई व ठेकेदारो को अदेय लाभ पहुंचा। ठेकेदारों के देयक से रॉयल्टी के रूप मे ` **474432/-** की कम कटौती की गयी। साथ ही न्यास निधि की ` **58225/-** भी कम कटौती की गयी थी जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

(धनराशि ` में)

क्र. सं	वाउचरसं/ दिनांक	नियमानुसार जमा की जाने वाली रॉयल्टी	खण्ड द्वारा कटौती की गई रॉयल्टी	कम काटी गई रायल्टी	नियमानुसारजमा की जाने वाली न्यास निधि	खण्ड द्वारा न्यास निधि हेतु जमा राशि	कम काटी गई न्यास निधि
1	01/03.02.2021	27263.2	20447	6816.2	6816	6816	0
2	39/09.02.2021	57337	43003	14334	14334	14334	0
3	46/11.02.2021	26845	20134	6711	6711	6711	0
4	47/11.02.2021	27909.42	20932	6977.42	6977	6977	0
5	48/11.02.2021	7462.84	3622	3840.84	1866	1207	659
6	49/11.02.2021	41434	31075	10359	10359	10359	0
7	50/17.02.2021	17519	13139	4380	4380	4380	0
8	52/18.02.2021	4705	3529	1176	1176	1176	0
9	59/19.02.2021	21536	11152	10384	5384	5384	0
10	67/24.02.2021	274167	205625	68542	68542	68542	0
11	68/24.02.2021	833816	682928	150888	208454	150888	57566
12	69/24.02.2021	2774	2080	694	694	694	0
13	74/25.02.2021	298008	235634	62374	74502	78545	0
14	75/25.02.2021	143704	107778	35926	35926	35926	0
15	77/25.02.2021	364120	273090	91030	91030	91030	0
योग		**2148600**	**1674168**	**474432**	**537151**	**482969**	**58225**

लेखापरीक्षा में इस प्रकरण को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि स्पष्ट आदेश न होने के कारण ठेकेदारो के देयकों से न्यास निधि हेतु 25 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती नही की जा सकी, साथ ही न्यास निधि हेतु कम कटौती की वसूली संबंधित फर्म/ठेकेदारों के देयक से कर ली जाएगी।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा उक्त रॉयल्टी एवं न्यास निधि हेतु कम कटौती की गई थी अतः ` 4.74 लाख रॉयल्टी व ` 0.58 लाख न्यास निधि की कम कटौती किए जाने के कारण ठेकेदारों को कुल ` 5.33 लाख अदेय लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II "ब"

प्रस्तर 02–: निक्षेप मद में प्राप्त धनराशि से ` 34.72 लाख के अधिक व्यय धनराशि का संबंधित ग्राहक विभाग से वसूली लंबित रहना।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर-580 के प्रावधान अनुसार किसी निक्षेप कार्य का परिव्यय प्राप्त निक्षेप राशि की सीमा तक सीमित रखा जाना होता है और यदि कुछ व्ययाधिक्य हो भी जाता है तो उसे लेखों मे विविध प्रकीर्ण अग्रिम के रूप मे लंबित वसूली के रूप मे दर्शाते हुये वसूली हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए

कार्यालय अधिशासी अभियंता अस्थाई खंड लोक निर्माण विभाग, सहिया के डिपॉजिट संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित निक्षेप कार्य पूर्ण दर्शाये गए थे परंतु दायित्व अवशेष दर्शाये गए थे:-

क्रम सं	विद्यालयों का नाम	स्वीकृत लागत	प्राप्त धन राशि	विभाग द्वारा मांग/अवशेष राशि
1	राजकीय हाई स्कूल दातनू	39.80	35.82	3.98
2	राजकीय हाई स्कूल मुन्धान	39.74	35.766	3.974
3	राजकीय हाई स्कूल, कनबुआ	34.49	31.041	3.449
4	राजकीय हाई स्कूल पिपाया	30.47	27.418	3.052
5	राजकीय हाई स्कूल, बागथात	32.94	16.47	16.47
6	राजकीय हाई स्कूल, अमबाड़ी	37.85	34.06	3.79
	कुल योग	**215.29**	**180.575**	**34.715**

(` लाख में)

उपरोक्त निक्षेप कार्यों से संबंधित पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि क्रमांक 03 पर अंकित कार्य को छोड़ कर अन्य सभी कार्य खंड द्वारा पूर्ण कर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके थे परंतु दायित्व का भुगतान बकाया था जिसके लिए ग्राहक विभाग से अवशेष धनराशि अप्राप्त थी इस प्रकार खंड द्वारा निक्षेप मद के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्यों के सापेक्ष ` 34.72 लाख का अधिक व्यय किया गया था जिसकी संबंधित ग्राहक विभाग से वसूली लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अवशेष धनराशि प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप माह 02/2021 में ` 22.82 लाख खंड को प्राप्त हो चुके है।

खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योकि अभिलेख के अनुसार निक्षेप मद के कार्यों में खंड द्वारा ` 34.72 लाख का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त आवंटन के विरुद्ध किया गया था एवं खंड द्वारा इंगित प्राप्त धनराशि ` 22.82 लाख लेखापरीक्षा आपत्ति में इंगित विद्यालयों (क्रम सं 1 से 6) के सापेक्ष न हो कर राजकीय हाई स्कूल, कामला के सापेक्ष प्राप्त हुई थी ।

अतः निक्षेप मद में प्राप्त धनराशि से ` 34.72 लाख के अधिक व्यय किए जाने तथा उक्त धनराशि का संबंधित ग्राहक विभाग से वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर 04:- विशिष्टियों के विपरीत कार्य का निष्पादन।

राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून विधानसभा के क्षेत्र चकराता मे नागथात लाच्छा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त 2018 मे 3.50 किमी लंबाई मे कार्य निष्पादन हेतु ` 367.80 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति दिसम्बर 2018 मे ही उक्त लंबाई एवं उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी थी। उक्त मोटर मार्ग ग्रामीण मार्ग था एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए के किमी 111 से प्रारम्भ होकर सबमरजेंस ग्रामीण मार्ग के किमी 22 मे मिलता था। उक्त मोटर मार्ग का प्रारम्भिक 2.50 किमी भाग कठोर चट्टानी भाग था एवं 1.50 किमी मिट्टी वाला भाग था जिसमे वर्षा के समय इस मार्ग पर जगह जगह दलदल हो जाती थी एवं मार्ग यातायात हेतु अवरुद्ध हो जाता था। उपरोक्त निर्माण कार्य के अंतर्गत अंधे मोड़ो का सुधार, पासिंग प्लेस एवं कच्ची नाली का निर्माण, ब्रेस्ट वाल, कल्वर्ट निर्माण के साथ साथ मार्ग की पूरी लंबाई मे सर्फ़ेस ड्रेसिंग, डब्लू.बी.एम. के साथ साथ बी.एम. एवं एस.डी.बी.सी. कार्य का निष्पादन किया जाना था। उपरोक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध संख्या 66/एस ई-9/2018-19 दिनांक 20.02.19 को लागत `344.45 लाख का मै शिवालिक इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य दिनांक 19.02.20 को समाप्त किया जाना था। कार्य पर संप्रेक्षा अवधि (मार्च 2021) तक आठवे रनिंग भुगतान देयक के अंतर्गत ठेकेदार को कुल ` 302.24 लाख का भुगतान किया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया मे उपरोक्त कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त मार्ग पर बगैर सी.बी.आर. एवं एम.एस.ए. का निर्धारण किए 3.50 किमी मे जी-1 100 एम.एम., जी -2 100 एम.एम. एवं जी -3 100 एम.एम. एवं बी.एम. 50 एम.एम. एवं एस.डी.बी.सी. 25 एम.एम. अर्थात कृस्ट थिकनेस कुल 375 एम.एम. निर्धारित की गयी थी। आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण मे जी-1 मात्र 2.82 किमी (निष्पादित 1268.95-10%=1142.06/0.405), जी-2 मात्र 2.35 किमी (979.66-10%=881.69/0.375 जी-1 एवं जी-3 हेतु) मे ही निष्पादित किए जाने के उपरांत मार्ग की अवशेष लंबाई 1.65 किमी बगैर मे बी.एम.एवं एस.डी.बी.सी. का कार्य बगैर डब्लू एम एम का निष्पादन के विशिष्टियों के विपरीत किया गया था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि मार्ग कठोर चट्टानों से होकर गुजरता है इसलिए मार्ग पर सी.बी.आर. टेस्ट की आवश्यकता नहीं थी एवं मार्ग निर्माण के उपरांत यातायात के बढ्ने वाले दबाव के कारण मार्ग पर बी.एम. एवं एस.डी.बी.सी. का प्रावधान किया गया, बगैर डब्लू.एम.एम. के मार्ग के 1.65 किमी मे बी.एम. एवं एस.डी.बी.सी. किए जाने के

संबंध मे खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि मार्ग की वास्तविक लंबाई पूर्व निर्मित भाग होने के कारण डब्लू.बी.एम. पूर्ण लंबाई मे नहीं किया गया है। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मार्ग परिलेख के अनुसार उक्त मार्ग एक ग्रामीण मार्ग था जिस पर पूर्व मे डब्लू.बी.एम. किए जाने संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था एवं यदि पूर्व मे उक्त मार्ग की अवशेष लंबाई मे डब्लू.बी.एम. किया गया था तो खंड द्वारा मार्ग की पूरी लंबाई डब्लू बी एम की स्वीकृति प्राप्त किए जाने का आधार स्पष्ट नहीं था।

अतः विशिष्टियों के विपरीत कार्य सम्पादन के कारण अधोमानक कार्य निष्पादन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर-03:- अपूर्ण अवस्था मे ही कार्य का अंतिमिकरण करते हुए अनियमित भुगतान ` 91.40 लाख ।

(A) लखस्यार लुधेरा क्यारी कचटा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च 2005 मे लंबाई 8.00 किमी मे निर्माण कार्य हेतु लागत ` 77.20 लाख की प्रदान की गयी थी। जिसके सापेक्ष प्राविधिक स्वीकृति ` 21.15 लाख की अक्टूबर 2005 मे प्रदान की गयी थी। प्राप्त प्राविधिक स्वीकृति के सापेक्ष मार्ग के किमी 11 से 14 तक हल्के वाहन मार्ग का मोटर मार्ग मे परिवर्तन का कार्य किया गया था। उक्त मार्ग के 15 से 18 किमी मे वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत मार्ग के किमी 15 से 16 मे शेष धनराशि से पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण किया गया था एवं प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष ` 68.54 लाख का भुगतान किया गया था। सैद्धांतिक स्वीकृति वर्ष 2015 मे प्राप्त होने के उपरांत एवं श्रमिक एवं  सामग्री की दरो मे वृद्धि होने के कारण फरवरी 2018 मे उपलब्ध कराये गए पुनरीक्षित आगणन पर पुनरीक्षित स्वीकृति पूर्व मे प्राप्त स्वीकृति की धनराशि ` 77.20 लाख को घटाते हुए पुनरीक्षित स्वीकृति ` 387.55 लाख (` 77.20 लाख +` 310.35 लाख अतिरिक्त ) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष प्राविधिक स्वीकृति मई 2018 मे ` 387.55 लाख हेतु ही प्रदान की गयी थी। कार्य निष्पादन हेतु पाँच अनुबंध लागत ` 258.47 लाख के गठित किए गए थे जिन पर संप्रेक्षा अवधि तक अंतिम भुगतान देयक के अनुसार  ` 273.16 लाख का भुगतान ठेकेदारो को किया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया मे उपरोक्त कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि मार्ग निर्माण से संबन्धित अनुबंध संख्या 50/एस ई-09 मे ` 24.81 लाख, अनुबंध संख्या 42/एस ई मे ` 32.32 लाख एवं अनुबंध संख्या 50/12-ई ई के अंतर्गत ` 3.89 लाख अर्थात कुल ` 61.02 लाख के अधिक कार्यो निष्पादित कार्यो के सापेक्ष खंड द्वारा मात्र ` 10.75 लाख लागत का ही विचलन स्वीकृति कराते हुए ` 50.27 लाख लागत के कार्य अधिक निष्पादित कराये गए थे।

आगे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि खंड द्वारा अनुबंध संख्या 42/एस ई के अंतर्गत ` 7.53 लाख के कल्वर्ट संबन्धित निर्माण कार्य एवं क्रैश बैरियर, सुपर एलीवेशन एवं डब्लू बी

एम ग्रेड 1 के ` 24.60 लाख लागत के कार्यो का निष्पादन कराते हुए कार्य पूर्ण किया जाना था परंतु खंड द्वारा उक्त कार्यो का निष्पादन किए बगैर ही अनुबंध का अंतिमिकरण कर दिया गया था एवं न तो उक्त हेतु सक्षम अधिकारी की कोई स्वीकृति प्राप्त की थी एवं न ही किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत उक्त कार्यो को पूर्ण कराया था।

बिन्दु (A) के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अधिक निष्पादित मदों का कारण स्पष्ट किए बगैर उत्तर दिया गया कि स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है एवं धनाभाव के कारण अनुबंध संख्या 42/एस ई मे कार्य नहीं कराये जा सके है। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योकि खंड द्वारा मात्र ` 10.75 लाख के विचलन स्वीकृत कराते हुए ` 50.27 लाख के कार्य अधिक निष्पादित कराये थे एवं अनुबंध संख्या 42/एस ई मे बगैर ` 32.13 लाख लागत के कार्यों को अपूर्ण रखते हुए कार्य का अंतिमिकरण कर दिया था।

(B) राज्य योजना के अंतर्गत देहरादून विधानसभा के क्षेत्र चकराता मे नागथात लाच्छा मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त 2018 मे 3.50 किमी लंबाई मे कार्य निष्पादन हेतु ` 367.80 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति जो कि दिसम्बर 2018 मे ` 367.80 लाख की प्रदान की गयी थी, के सापेक्ष गठित अनुबंध संख्या 66/एस ई-9/2018-19 दिनांक 20.02.19 को लागत ` 344.45 लाख का गठित किया गया था।

अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड लोक निर्माण विभाग सहिया मे उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्य पर संप्रेक्षा अवधि (मार्च 2021) तक आठवे रनिंग भुगतान देयक के अंतर्गत ठेकेदार को कुल ` 302.24 लाख का भुगतान किया गया था जबकि फॉर्म 64 के अनुसार कार्य पर ` 343.37 लाख अर्थात ` 41.13 लाख अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गया कि कार्य पर वास्तविक व्यय ` 343.37 लाख ही है जबकि खंड द्वारा मात्र `11.64 लाख के ही अतिरिक्त व्यय एवं विचलन के अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये थे जो इंगित करता था कि कार्य पर ` 41.13 लाख का भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न प्राप्त किए जाने के कारण अनियमित था।

अतः अपूर्ण अवस्था मे ही कार्य का अंतिमिकरण करते हुए अनियमित भुगतान ` 91.40 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रमांक	ले प प्र संख्या	भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	22/2003-04	-	4
2.	33/2004-05	-	5
3.	21/2005-06	1	-
4.	03/2006-07	1, 2A	-
5.	46/2007-08	1	2
6.	64/2008-09	2,3	3
7.	36/2011-12	2	1
8.	33/2012-13	-	1
9.	54/2013-14	-	1
10.	45/2015-16	-	1
11.	127/2018-19	-	1,2,3
12.	129/2019-20	-	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा बताया गया कि उक्त प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के अनुमोदन हेतु प्रेषित है जो अनुमोदन के उपरांत उचित माध्यम से आपके कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता,अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, जनपद –देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः – शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

- शून्य -

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
1. श्री डी. पी. सिंह	अधिशासी अभियन्ता	16.12.2017 से वर्तमान तक।

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री संजीव नेगी	खंडीय लेखाधिकारी	06.08.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता,अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, जनपद – देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ ए.एम.जी.-II को प्रेषित कर दी जाएँ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II(N-PSUs)